भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5357
उत्तर देने की तारीख 03.04.2025

पीएमईजीपी के तहत स्वरोजगार को बढ़ावा देना

5357. **श्री विष्णु दत्त शर्माः**
श्री विनोद लखमशी चावड़ाः

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार विशेषकर मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों में स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) को क्रियान्वित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने खजुराहो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के कटनी, पन्ना और खजुराहो शहर तथा कच्छ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के भुज, अब्दासा, गांधीधाम, रापड़, मांडवी और अंजार जिलों में लाभार्थियों की पहचान की है और उन्हें सहायता प्रदान की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और योजना की सफलता सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन से कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) से (घ): एमएसएमई मंत्रालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से, गैर-कृषि क्षेत्र में नए उद्यम स्थापित करने में उद्यमियों की सहायता करने के लिए मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों सहित पूरे देश में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) का कार्यान्वयन कर रहा है।

विगत 3 वर्षों अर्थात वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2024-25 में कटनी और पन्ना जिलों एवं खजुराहो लोकसभा क्षेत्र के खजुराहो शहर तथा कच्छ लोकसभा क्षेत्र के भुज, अब्दासा, गांधीधाम, रापर, मांडवी और अंजार में पीएमईजीपी का कार्य-निष्पादन निम्नानुसार है:

क्र.सं.	**जिले का नाम/विधानसभा क्षेत्र**	**वर्ष 2022-23 से वर्ष 2024-25**		
		परियोजना की सं.	**एमएम (रु. लाख में)**	**रोजगार**
मध्य प्रदेश				
1	कटनी	136	533.07	1088
2	पन्ना	123	244.58	984
3	खजुराहो	5	13.18	40

गुजरात				
1	कच्छ	459	2864.82	3672
2	भुज	284	1707.06	2272
3	अब्दासा	2	15.33	16
4	गांधीधाम	29	210.06	232
5	रपार	4	28.75	32
6	मांडवी	8	49.81	64
7	अंजार	58	483.91	464

पीएमईजीपी की पहुंच बढ़ाने और कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. विनिर्माण क्षेत्र के लिए अधिकतम परियोजना लागत को 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये तथा सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये किया गया।

ii. उच्चतर सब्सिडी के लिए पात्र विशेष श्रेणी के अंतर्गत आकांक्षी जिलों के आवेदकों और ट्रांसजेंडरों को शामिल करना।

iii. पिछड़े और कम प्रदर्शन वाले क्षेत्रों, आकांक्षी जिलों, पूर्वोत्तर क्षेत्र आदि सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम।

iv. दूसरे ऋण किश्त के लिए आवेदन करने वाली मौजूदा पीएमईजीपी/मुद्रा इकाइयों की लाभप्रदता पर विचार करते समय वित्तीय वर्ष 2020-21 और वित्तीय वर्ष 2021-22 में कोविड वर्षों को शामिल नहीं किया जाएगा।

v. भावी उद्यमियों के लिए दो दिवसीय नि: शुल्क उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम (ईडीपी) का आयोजन करना।

vi. जनवरी, 2024 से 11 क्षेत्रीय भाषाओं में भावी लाभार्थियों से ऑफलाइन मोड में पीएमईजीपी आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।

*****